भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4928
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों का विकास

4928. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ग्राम पंचायतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर ग्राम पंचायतों के कामकाज का निरीक्षण किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पंचायतों और गांवों के विकास हेतु धन आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रबंधन नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बिगत पांच वर्षों के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(च) महाराष्ट्र में अब तक प्रशिक्षित पंचायती राज प्रतिनिधियों की जिलावार संख्या कितनी है तथा विशेषरूप से आकांक्षी जिलों के संबंध में व्यौरा क्या है, एवं पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, तथा वासिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(छ) महाराष्ट्र में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को वर्तमान में उपलब्ध कराए गए इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे बुनियादी ढांचे का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार और विभिन्न भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के बीच किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का ब्यौरा, इसके उद्देश्य क्या हैं तथा दिये जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राजराज्यमंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) देश में लगभग**2,55,368** ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की राज्य**-**वार संख्या**अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर बैठकों**,** क्षेत्र दौरों/ फील्ड विजिट**,** वीडियो-सम्मेलन**,** डैशबोर्ड डेटा आदि के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कामकाज का निरीक्षण करती है और इस प्रकार योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निधि के उपयोग के लिए उनके कार्य-निष्पादन में सुधार किया जा सके जिससे देश में बेहतर पंचायती राज प्रणाली सुनिश्चित हो सके।

पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायतों हेतु मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत) लागू कर रहा है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए और इसके समग्र परिवर्तन के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में वित्त पोषित किया जाता है। देश भर में पंचायती राज संस्थाओ के कामकाज को मजबूत करने के लिए, इस मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित संपत्तियों के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। यह पोर्टल सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदानों के उपयोग के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।पंचायतों द्वारा विधिवत अनुमोदित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रत्येक चरण में सिस्टम जनित वाउचर, जियो-टैगिंग और पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारियों के माध्यम से की जाती है।

इसके अलावा**,** उपयोग किए गए केंद्रीय वित्त आयोग की निधि की ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए एक एप्लिकेशन 'ऑडिटऑनलाइन' भी विकसित किया गया है और पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया गया है। वास्तविक समय प्रशिक्षण निगरानी की सुविधा के लिए एक प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) विकसित और चालू किया गया है। इसके अलावा**,** मंत्रालय द्वारा विकसित की गई मेरी पंचायत जैसे एप्लीकेशनों ने पंचायत में नियोजन**,** गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार**,** पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता लाना और बेहतर प्रबंधन करना है।

(ग) भारतीय संविधान का अनुच्छेद**280** केंद्रीय वित्त आयोगों को संघ**,** राज्यों और उनके संबंधित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने और राज्यों और स्थानीय निकायों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए करों के बंटवारे के साथ-साथ अनुदानों की सिफारिश करने का आधार प्रदान करता है। वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर**,** वित्त आयोग अनुदान का उपयोग ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत स्थान विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

पंचायतों और गांवों के विकास के लिए निधियों का आवंटन केंद्रीय वित्त आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है और वर्तमान में**15**वें वित्त आयोग ने जनसंख्या को**90%** और राज्यों के क्षेत्रों को**10%** महत्व/ वेटेज दिया है। राज्यों और

स्तरों के बीच अंतर-वितरण राज्य सरकारों द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर और निम्नलिखित बैंड के अनुरूप तय किया जाता है;

वितरण की सीमा	**ग्राम पंचायतें**	**ब्लॉक पंचायत**	**जिला पंचायतें**
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

जिन राज्यों में केवल ग्राम और जिला पंचायतें हैं, वहां दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत निम्नलिखित बैंडों में आवंटन किया जाएगा;

वितरण की सीमा	**ग्राम पंचायतें**	**जिला पंचायतें**
न्यूनतम	70%	15%
अधिकतम	85%	30%

एसएफसी की सिफारिशें उपलब्ध न होने की स्थिति में, स्तरों के भीतर अंतर-वितरण का निर्णय राज्य सरकार द्वारा ऊपर बताए गए बैंड के भीतर किया जाना चाहिए। राज्य भर में संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर**90:10** के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार होना चाहिए।

(घ) से (ज) मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र प्रायोजित योजना sanshoditआरजीएसए को लागू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है, जिसके तहत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे नेतृत्व भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित कर सकें और पंचायतें प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।मंत्रालय ने देश के उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईएम, आईआईटी, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए) आदि के सहयोग से नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) की संकल्पना की है।
एमडीपी कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

(i) पंचायतों, विशेष रूप से सामुदायिक नेताओं के कौशल और ज्ञान में सुधार के लिए टूल्स प्रदान करना तथा पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाना।

(ii) संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा पंचायत से संबंधित मामलों और कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पंचायतों को नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करना।

(iii) समीक्षात्मक सोच विकसित करने, प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार, ज्ञान प्रबंधन जैसे वास्तविक जीवन के संदर्भों में रचनात्मक तकनीकों का उपयोग करने, सीखने के लिए रुचि पैदा करने हेतु प्रतिभागियों को टूल्स प्रदान करने, प्रौद्योगिकी और शिक्षण टूल्स का लाभ उठाने तथा सामुदायिक विकास के साथ सामाजिक कौशल को एकीकृत करने के लिए कौशल की समझ के लिए व्यापक आधार प्रदान करना।

इस पहल के अंतर्गत, मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम जम्मू, आईआईएम रोहतक, आईआईएम अमृतसर, आईआईएम बोधगया, आईआईएम शिलांग, आईआरएमए गुजरात और आईआईटी/इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, आईआईटी/आईएसएम धनबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अब तक**27** राज्यों के**189** प्रतिभागियों को शामिल करते हुए पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं**,** जिनमें जिला और ब्लॉक स्तर के**82** निर्वाचित प्रतिनिधियों और**107** पंचायत अधिकारियों को एमडीपी के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

पिछले**5** वर्षों के दौरान कुल**1,74,96,977** प्रतिभागियों को कई प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण का राज्य-वार विवरण**अनुलग्नक**II में है। वर्ष**2022-23** से लागू किए जा रहे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (**RGSA)** की योजना के तहत महाराष्ट्र में प्रशिक्षित प्रतिभागियों का जिले-वार विवरण**अनुलग्नक**III में है।

'स्थानीय सरकार' होने के कारण पंचायत राज्य का विषय है। इसलिए**,** इंटरनेट**,** कंप्यूटर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य का दायित्व है। मार्च**2025** तक**, 2,69,020** ग्राम पंचायतों और समकक्ष निकायों में से**, 2,18,347** ग्राम पंचायतों और समकक्ष निकायों को भारतनेट परियोजना के तहत हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवा के लिए तैयार (पॉइंट) किया गया है। ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सहित सेवा हेतु तैयार किए गए ग्राम पंचायतों का राज्य-वार विवरण**अनुलग्नक**IV में संलग्न है। संशोधित आरजीएसए योजना के तहत**,** महाराष्ट्र के लिए**945** कंप्यूटर स्वीकृत किए गए हैं।

***

अनुलग्नक ।

"पंचायतों के विकास" के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4928 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

देश में ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70
2	आंध्र प्रदेश	13327
3	अरुणाचल प्रदेश	2108
4	असम	2257
5	बिहार	8054
6	चंडीगढ़	N.A
7	छत्तीसगढ	11623
8	दिल्ली	N.A
9	गोवा	191
10	गुजरात	14674
11	हरियाणा	6226
12	हिमाचल प्रदेश	3615
13	जम्मू और कश्मीर	4291
14	झारखंड	4345
15	कर्नाटक	5948
16	केरल	941
17	लद्दाख	193
18	लक्षद्वीप	10
19	मध्य प्रदेश	23011
20	महाराष्ट्र	27954
21	मणिपुर	161
22	मेघालय	N.A
23	मिजोरम	N.A
24	नागालैंड	N.A
25	ओडिशा	6794
26	पुदुच्चेरी	108
27	पंजाब	13235
28	राजस्थान	11193
29	सिक्किम	199
30	तमिलनाडु	12525
31	तेलंगाना	12848
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और	42

	दीव	
33	त्रिपुरा	607
34	उत्तर प्रदेश	57691
35	उत्तराखंड	7788
36	पश्चिम बंगाल	3339
	कुल	**255368**

स्रोत: http://lgdirectory.gov.in . रिपोर्ट 28/03/2025 को अपराह्न 05:06:23 पर तैयार की गई और राज्य विभागों द्वारा डेटा का अद्यतन और प्रबंधित किया जाता है।

अनुलग्नक II

"पंचायतों के विकास" के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4928 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आरजीएसए योजना के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	600866	483233	155089	649156	165001
2	अरुणाचल प्रदेश	9636	0	0	3,711	6,138
3	असम	209737	114159	113700	227733	348183
4	बिहार	30223	34871	24352	404406	163809
5	छत्तीसगढ	129543	39843	42115	121099	163292
6	गोवा	3089	0	3249	1777	3548
7	गुजरात	22159	0	10455	250	1938
8	हरियाणा	0	3334	4490	4859	12431
9	हिमाचल प्रदेश	3852	518	18387	9531	92458
10	झारखंड	0	0	25260	8302	54056
11	कर्नाटक	304477	296546	246328	213467	363317
12	केरल	107216	0	140390	179478	149153
13	मध्य प्रदेश	480984	961367	334724	281610	86884
14	महाराष्ट्र	711268	116315	632686	1041165	984321
15	मणिपुर	582	8338	232	894	5591
16	मेघालय	10797	0	1173	11,588	74,410
17	मिजोरम	3048	0	58	2659	9800
18	नागालैंड	5457	600	25540	1832	3435
19	ओडिशा	65500	37784	27077	79116	160774
20	पंजाब	0	28094	45940	36378	13359
21	राजस्थान	570	0	3164	2481	96389
22	सिक्किम	6910	15166	335	13,552	11,249
23	तमिलनाडु	160399	628125	130329	106560	101513
24	तेलंगाना	14016	1039	3889	14506	2441
25	त्रिपुरा	10399	6794	6708	7743	63715
26	उत्तर प्रदेश	2226	20335	140	48241	144374
27	उत्तराखंड	16648	71835	116042	263409	82712
28	पश्चिम बंगाल	453766	448226	378110	174974	272762
संघ राज्य क्षेत्र						
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	509	0	553	1874	2865
30	चंडीगढ़	-	-	-	-	-
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और	61	0	223	575	1,000

	दीव					
32	दिल्ली	-	-	-	-	-
33	जम्मू और कश्मीर	34256	11950	80000	284138	350026
34	लद्दाख	0	0	4898	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	-	-
36	पुदुच्चेरी	0	0	0	-	-
37	एनआईआरडीपीआर/सेंट्रल/एमडीपी	0	0	0	5229	1438
	कुल	**3398194**	**3328472**	**2575636**	**4202293**	**3992382**

अनुलग्नक III

"पंचायतों का विकास" के संबंध में दिनांक01.04.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या4928 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
2022-23 से कार्यान्वित की जा रही आरजीएसए योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में जिलावार प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया

महाराष्ट्र में संस्थानवार प्रशिक्षित				
क्र. सं.	**संगठन का नाम**	**प्रशिक्षित प्रतिभागी (2022-23)**	**प्रशिक्षित प्रतिभागी (2023-24)**	**प्रशिक्षित प्रतिभागी (2024-25) 26 मार्च 2025 तक**
1	एसआईआरडी	13492	9405	25798
2	पंचायती राज और आरडी विभाग	0	0	0
3	डीपीआरओ (जिला - पुणे)	30698	32269	11293
4	डीपीआरओ (जिला - सिंधुदुर्ग)	13844	13867	5257
5	डीपीआरओ (जिला – संगली)	14144	19029	10430
6	डीपीआरओ (जिला - रत्नागिरी)	20343	16440	8807
7	डीपीआरओ (जिला - बुलढाणा)	20885	23413	11996
8	डीपीआरओ (जिला - सतारा)	30628	38830	17053
9	डीपीआरओ (जिला - गढ़चिरौली)	10877	10544	2492
10	डीपीआरओ (जिला - वर्धा)	10728	11484	8475
11	डीपीआरओ (जिला-वाशिम)	7845	12703	5334
12	डीपीआरओ (जिला-ठाणे)	10372	10861	1587
13	डीपीआरओ (जिला - छत्रपति संभाजीनगर)	21394	20505	8561
14	डीपीआरओ (जिला - बीड)	29314	25596	14255
15	डीपीआरओ (जिला-भंडारा)	14214	16248	8131
16	डीपीआरओ (जिला - परभणी)	13198	15977	1095
17	डीपीआरओ (जिला-रायगढ़)	21790	19700	8115
18	डीपीआरओ (जिला - सोलापुर)	20562	18988	11838
19	डीपीआरओ (जिला - हिंगोली)	8709	11044	4763
20	डीपीआरओ (जिला-जालना)	17072	18173	1361
21	डीपीआरओ (जिला-गोंदिया)	14538	15905	8450
22	डीपीआरओ (जिला-अहिल्यानगर)	34388	34782	19352

23	डीपीआरओ (जिला-धाराशिव)	13001	14319	9350
24	डीपीआरओ (जिला - लातूर)	24117	24637	11831
25	डीपीआरओ (जिला-नागपुर)	16910	22632	11543
26	डीपीआरओ (जिला - अकोला)	6856	15533	866
27	डीपीआरओ (जिला - अमरावती)	14198	24307	2885
28	डीपीआरओ (जिला - धुले)	11221	9728	6719
29	डीपीआरओ (जिला - कोल्हापुर)	26379	31111	7875
30	डीपीआरओ (जिला - नांदेड़)	9486	15425	11154
31	डीपीआरओ (जिला - नंदुरबार)	8268	13933	6061
32	डीपीआरओ (जिला - नासिक)	58077	43075	19041
33	डीपीआरओ (जिला - जलगांव)	13016	26196	8660
34	डीपीआरओ (जिला - यवतमाल)	18003	24003	13294
35	डीपीआरओ (जिला - चंद्रपुर)	21005	21020	10778
36	डीपीआरओ (जिला - पालघर)	15620	19840	6539
37	आदि (जिला - परभणी)	0	0	0
38	ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र (जिला-पुणे)	44661	16427	0
39	इटीसी (जिला - पुणे)	3829	1322	0
40	ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र (जिला-बुलढाणा)	10465	4356	0
41	ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र (जिला-अमरावती)	31130	23699	741
42	ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र (जिला- चन्द्रपुर)	17547	6700	728
43	ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र (जिला-जालना)	8880	929	0
44	ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र (जिला-परभणी)	12914	0	0
45	ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र (जिला-कोल्हापुर)	69265	29004	45
46	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- सोलापुर)	13653	10304	490

47	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- लातूर)	10389	3897	995
48	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- नागपुर)	9491	19798	2189
49	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- बुलढाणा)	88781	66499	8369
50	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- अमरावती)	6428	1847	0
51	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- चंद्रपुर)	22869	17579	1465
52	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला-पालघर)	8459	3591	2065
53	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- सतारा)	3860	3153	108
54	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- यवतमाल)	8914	27675	355
55	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला-कोल्हापुर)	4931	9067	2501
56	पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र (जिला- जलगांव)	30985	36952	3629
कुल		**1042643**	**984321**	**344719**

अनुलग्नक IV

"पंचायतों के विकास" के संबंध में 01.04.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4928 के भाग (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने के लिए सेवा के लिए तैयार पॉइंट्स (सर्विस-रेडी पॉइंट्स)का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	सेवा के लिए तैयार प्वाइंटस की संख्या*
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	81
2	आंध्र प्रदेश	13327	12972
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1145
4	असम	2665	1634
5	बिहार	8054	8860
6	छत्तीसगढ़	11623	9759
7	गोवा	191	0
8	गुजरात	14674	14563
9	हरियाणा	6225	6204
10	हिमाचल प्रदेश	3615	416
11	जम्मू और कश्मीर	4291	1115
12	झारखंड	4345	4649
13	कर्नाटक	5948	6251
14	केरल	941	1130
15	लद्दाख	193	193
16	लक्षद्वीप	10	9
17	मध्य प्रदेश	23011	18106
18	महाराष्ट्र	27952	24778
19	मणिपुर	3812	1485
20	मेघालय	6838	697
21	मिजोरम	843	539
22	नागालैंड	1315	236
23	ओडिशा	6794	7099
24	पुदुच्चेरी	108	101
25	पंजाब	13236	12807
26	राजस्थान	11193	8997
27	सिक्किम	199	54
28	तमिलनाडु	12525	10298
29	तेलंगाना	12860	10926
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	42	41
31	त्रिपुरा	1194	772
32	उत्तर प्रदेश	57691	47451
33	उत्तराखंड	7788	2021

34	पश्चिम बंगाल	3339	2958
	कुल	**269020**	**218347**

***** डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से प्राप्त किया गया है, और कुछ ग्राम पंचायतों में अनेक सर्विस-रेडी पॉइंट्स हो सकते हैं।

***